

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/12/2024

अ.सं.संव०-6144/2024-1575/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-27.11.2024 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारपरत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं० 2 में अंकित सत्र-2023-24 हेतु औपचारिक संबद्धता प्राप्त गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय को सत्र-2023-24 हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करते हुए कॉलम सं० 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन किया जाता है।

Sl No	Name of the Nursing College	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	Nutan College of Nursing, Vill-Dhanhara, Po-Manik Chowk, Ps-Runni Saidpur, Sitamarhi-843323	Basic B Sc Nursing	100
		Post Basic B. Sc. Nursing	50

नियम एवं शर्तें:-

- अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सरतः प्रदान की जा रही है।
- अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकर द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिवारिक निबंधन परिषद, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यापक शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिवारिक निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिवारिक निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिवारिक निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व दाखिल कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देगे।
- विश्वविद्यालय/भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2024-25 हेतु प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलफल से आच्छादित होगा।
- महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अतिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
- महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपचारिक संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निम्नानुसृत कार्रवाई की जाएगी।

(Signature)



Seminar

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13/02/2024

अ.सं.:संबं0-6032(पार्ट-I)/2023-135/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से औपबधिक संबद्धता प्राप्त निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा नामांकन क्षमता में वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों पर तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-09.02.2024 को सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 7 में अंकित बढ़ी हुई नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No	Name of College	District	Name of Course	Existing Intake	Increase Seat	New/ Proposed Intake	Affiliation Notification No. of BUHS	Health Deptt. Approval Letter for Seat Intake	BNRC/ PCI Approval Letter for Increase Seat Intake
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9	10
1	Taluka Institute of Nursing	Madhubani	B.Sc. Nursing	50	50	100	601 / 09.09.23	140(6) / 12.01.24	88 / 25.01.24
2	Nutan College of Nursing	Sitamarhi	B.Sc. Nursing	60	40	100	511 /05.08.23	149(6) / 12.01.24	152 / 29.01.24
3	Subhwanti Institute of Education	Siwan	B.Sc. Nursing	50	50	100	511 /05.08.23	148 (6) / 12.01.24	153 / 29.01.24
4	S. K. Global School of Health Sciences	Muzaffarpur	B.Sc. Nursing	60	40	100	572 / 30.08.23	172 (6) / 15.01.24	123 / 29.01.24
5	Katihar B.Sc. Nursing College	Katihar	B.Sc. Nursing	60	40	100	511 /05.08.23	202(6) / 19.01.24	159 / 30.01.24

नियम एवं शर्त:-

- औपबधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
- औपबधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2023-24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
- सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।



**बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश**

आ0सं0-6/एन0-08-246/2018-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-1188(6), दिनांक-02.11.2018 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट नरसिंहपुर, भाया-रमना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, मानिक चौक, सीतामढ़ी-843323 के नाम से बी0एस0सी0 (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-1249(6), दिनांक-15.11.2018 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 एस0के0 अमन, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, मानिक चौक, सीतामढ़ी-843323 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (2019-20) के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

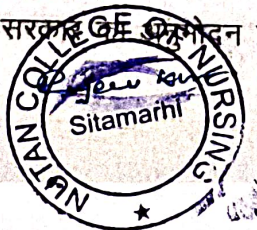
(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(ड) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - आदेश में सरकार के प्रमाणन प्राप्त है।



ह0/-

(डॉ0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक : 6/एन0-08-246/2018.348(6)

पटना दिनांक 08/03/19

- प्रतिलिपि:- सचिव, दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट नरसिंहपुर, भाया-रमना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निबंधक, आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।



बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0-6/एन-08-246/2018.....

/पटना-15, दिनांक-

दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, नरसिंहपुर, भाया-रमना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, मानिक चौक, सीतामढ़ी-843323 के अंतर्गत बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान संचालन के लिए अनुमति हेतु आवेदन, शपथ-पत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) आवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत नर्सिंग ट्रेनिंग-रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-04 के उपनियम-II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-धनहारा, मानिक चौक, सीतामढ़ी-843323 के नाम से बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-116(6) दिनांक-15.02.2017 में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र समर्पित करना होगा तथा मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन-पाठन का कार्य आरंभ होगा।

ह0/-

(डा0 आर0डी0 रंजन),

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1188(6)

पटना, दिनांक:- 02/11/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निबंधक बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, नरसिंहपुर, भाया-रमना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/18

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Principal
Nutan College of Nursing
Vill-Dhanhara, Po-Manik Chowk
Distt- Sitamarhi, Bihar-843323



बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13/02/2024

अ.सं.:संब0-6032(पार्ट-I)/2023-136/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से औपबधिक संबद्धता प्राप्त निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा नामांकन क्षमता में वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों पर तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-09.02.2024 को सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 7 में अंकित बढ़ी हुई नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No	Name of College	District	Name of Course	Existing Intake	Increase Seat	New/ Proposed Intake	Affiliation Notification No. of BUHS	Health Deptt. Approval Letter for Seat Intake	BNRC/PCI Approval Letter for Increase Seat Intake
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9	10
1	Taluka Institute of Nursing	Madhubani	GNM	45	55	100	798 / 24.11.23	140(6) / 12.01.24	88 / 25.01.24
2	Nutan College of Nursing	Sitamarhi	GNM	60	40	100	733 / 31.10.23	151 (6) / 12.01.24	150 / 29.01.24
3	Nutan College of Nursing	Sitamarhi	ANM	60	40	100	733 / 31.10.23	150 (6) / 12.01.24	151 / 29.01.24
4	Subhwanti Institute of Education	Siwan	GNM	60	40	100	733 / 31.10.23	152 (6) / 12.01.24	154 / 29.01.24
5	S. K. Global School of Health Sciences	Muzaffarpur	ANM	60	40	100	774 / 10.11.23	171 (6) / 15.01.24	124 / 29.01.24
6	Katihar ANM Nursing Training School	Katihar	ANM	60	40	100	733 / 31.10.23	213(6) / 22.01.24	161 / 30.01.24
7	Katihar ANM Nursing Training School	Katihar	GNM	60	40	100	733 / 31.10.23	203(6) / 19.01.24	160 / 30.01.24
8	Maa Mundeshwari Para Medical & Nursing Training Sansthan	Kaimur	ANM	50	50	100	733 / 31.10.23	144(6) / 12.01.24	137 / 29.01.24

